






2.c

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

लक्ष्मण उरांव वगैरह बनाम जीधन मुण्डा वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...1.25.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी राई ओ.पी. के अप्राथमिकी सं०-34/17 दिनांक-28/08/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि सूमि विवाद की लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>22/9/17</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>22-09-17</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। दिनांक 13-10-17 को हस्त।</p> <p> 22/9/17</p>	<p>T.P</p>

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
13-07-18	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पल अधिवक्ता हाजरी दिनांक 01, 05 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी । दिनांक 30-07-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;">  13/7/18 </p>	
30-07-18	<p>अभिलेख उपस्थापित । उभय पल अनुपस्थित । अतः वाद में 6(छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">  30/7/18 </p>	